कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011, बजट अभिलेखों, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में राज्य के सम्पूर्ण वित्त का मूल्यांकन, पुनरीक्षित अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय, वचनबद्ध व्ययों की प्रवृत्तियाँ एवं लिये गये ऋणों के प्रतिरुप के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर (बिना राज्य सरकार के बजट के माध्यम से) राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित की गयी धनराशियों का एक संक्षिप्त विवरण भी है। 2012–13 के दौरान बाजार ऋण पर एक समीक्षा की गई थी जिसके लेखा परीक्षा निष्कर्षों को अध्याय 1 में शामिल किया गया है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है। इसमें अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य का निष्पादन

वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार के पास ₹ 5,180 करोड़ का राजस्व आधिक्य था एवं राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से कम था। वर्ष 2012–13 के अन्त में कुल देयता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 45.1 *प्रतिशत* से कम बनाए रखा, जैसा कि राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 एवं इसके संशोधन 2011 द्वारा निर्धारित किये गये थे। राजस्व आधिक्य मुख्यतया राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप था।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ हो गया। यह राजस्व आधिक्य में कमी निवल ऋण एवं अग्रिम के

साथ–साथ निवल पूंजीगत व्यय के कारण था। वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर, प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़, वर्ष 2012–13 में राजकोषीय घाटा में ₹ 3,805 करोड़ की वृद्धि के साथ–साथ अवधि में व्याज की अदायगी में ₹ 1,440 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

राज्य के स्वयं के संसाधन

वर्ष 2012–13 में, वर्ष 2011–12 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 15,034 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व, करेतर राजस्व एवं केंद्रीय करों में राज्यांश में वृद्धि के कारण हुई।

राज्य बजट के बाहर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित निधि

भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 में ₹ 9,632 करोड़ राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित किया। यद्यपि, वर्तमान तंत्र, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करता है।

राजस्व व्यय

वर्ष 2012–13 में राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 16,839 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के अंर्तगत वर्ष 2011–12 की तुलना में आयोजनागत व्यय में ₹ 3,262 करोड़ (14 *प्रतिशत*) एवं आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 13,577 (13 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 में 84 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 85 *प्रतिशत* हो गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का अधिकांश भाग (₹ 93,561 करोड़) वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगियों तथा सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय के रूप में उपभोग किया गया।

व्यय उपभोग की दक्षता

कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2011–12 में 15 *प्रतिशत* से कम होकर वर्ष 2012–13 में 14 *प्रतिशत* हो गया।

आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लेखे में कई आरक्षित निधियाँ विद्यमान हैं जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के समेकित निधि के अंशदान से सृजित की गई हैं। वर्ष 2010–13 की अवधि में 22 आरक्षित निधियों में से 10 आरक्षित निधियाँ अपरिचालित थीं।

ऋण संवहनीयता

वर्ष 2012–13 के अन्त में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 34 *प्रतिशत* था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा 2014–15 के अंत तक निर्धारित 41.9 *प्रतिशत* से कम था।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2012–13 की अवधि में कुल अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 29,701.70 करोड़ की कुल बचत, प्रक्रिया में कमी को दर्शाता है। कृषि एवं अन्य (पंचायती राज) अनुदानों, गृह (पुलिस) अनुदानों, लोक निर्माण (अधिष्ठान) अनुदानों, शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) अनुदानों, समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अनुदानों तथा वित्त विभाग (ऋण, सेवाएं एवं अन्य व्यय) अनुदानों द्वारा विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत अंकित की गयी। वर्ष 2005–12 की अवधि में किये गये ₹ 15,363.76 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 की अवधि में किये गये ₹ 2,380 करोड़ के आधिक्य का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंर्तगत नियमन किये जाने की आवश्यकता है। धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण भी पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का बाहुल्य भी वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

वित्तीय रिपोर्टिंग

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ थीं। अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 66,625 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे। 1,502 वैयक्तिक जमा खातों में मार्च 2013 तक ₹ 2,311 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध थी। ₹ 65 करोड़ के 7,654 विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे। निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें विगत वर्षों के दौरान अनुदान/ऋण भुगतान किये गये थे, के विवरण लेखा परीक्षा में चिन्हित करने के लिए प्रेषित नहीं किये गये थे।